

फर्द अहकाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर बनाम रेलवे विभाग

प्रार्थना पत्र संख्या: 530/25

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रकरण तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती पेश किया। पत्रावली में सलंगन दस्तावेजात् का मनन एवं अवलोकन करने पर तहसीलदार सांगानेर का प्रार्थना पत्र बाबत् नक्शा एवं रिकॉर्ड दुरुस्ती स्वीकार किया जाता है।</p> <p>तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम सांगानेर पटवार मण्डल सांगानेर तहसील सांगानेर में स्थित खसरा नंबर 740, 740/1, 743, 743/1, की तरमीम प्रस्तावित नक्शे अनुसार दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>साथ ही मुताबिक खसरा नंबर 741 कुल रकबा 0.33 है० में से 0.1581 है० भूमि खसरा नंबर 741/1 रकबा 0.39 है० में शामिल करते हुए कुल भूमि रकबा 0.5481 है० ख०न० 741/1 में संलग्न प्रस्ताव अनुसार रेलवे विभाग के खाते में तथा शेष भूमि रकबा 0.1719 है० वर्तमान खातेदार ख्यालीराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4, जेठमल पुत्र ज्वालादत हिस्सा 1/4, बूधमल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4, विनोद कुमार पुत्र टोडरमल हिस्सा 1/8, श्यामसुन्दर पुत्र टोडरमल हिस्सा 1/8 के नाम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>इसी प्रकार खसरा नंबर 742/1 रकबा 0.54 है० में से 0.1581 है० भूमि खसरा नंबर 742 रकबा 0.34 है० में शामिल करते हुए खसरा नंबर 742 कुल रकबा 0.4981 है० भूमि वर्तमान खातेदार ख्यालीराम पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4, जेठमल पुत्र ज्वालादत हिस्सा 1/4, बूधमल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4, विनोद कुमार पुत्र टोडरमल</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हिस्सा 1/8, श्यामसुन्दर पुत्र टोडरमल हिस्सा 1/8 के नाम व खसरा नंबर 742/1 रकबा 0.3819 है0 रेलवे विभाग के नाम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है।

इसी प्रकार खसरा नंबर 5243/4989 में रकबा 0.18 है0 में से 0.0950 है0 भूमि खातेदार अवधेश पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, नरेन्द्र सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, बिजेश कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, राघवेन्द्र सिंह पुत्र रोडूराम हिस्सा 1/2, विजय पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, संग्राम सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, संजय सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12 के नाम व खसरा नंबर 5243/4989 रकबा 0.0850 है0 शेष भूमि रेलवे विभाग के नाम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है।

इसी प्रकार खसरा नंबर 773 रकबा 0.19 है0 में रकबा 0.0950 है0 भूमि महकमा रेलवे विभाग के नाम व खसरा नंबर 773 में रकबा 0.1050 है0 की शेष भूमि खातेदारों अवधेश पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, नरेन्द्र सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, बिजेश कुमार पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, राघवेन्द्र सिंह पुत्र रोडूराम हिस्सा 1/2, विजय पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, संग्राम सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12, संजय सिंह पुत्र रविन्द्र सिंह हिस्सा 1/12 के नाम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को सुनाया गया।



(हिम्मत सिंह)

आर..ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)

जयपुर